

रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के लिए भूमि की आवश्यकता (उत्तर प्रदेश राज्य में)

निम्नलिखित स्थानों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एकमुश्त बिक्री या पट्टा (न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह नवीनीकरण विकल्प के साथ) के माध्यम से भूखण्ड के स्थानांतरण के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को अपने कब्जे में भूमि का वैध एवं स्पष्ट विपणन अधिकार रखने वाली इच्छुक पार्टियों से दो अलग-अलग लिफाफों (एक लिफाफे में साइट का तकनीकी विवरण और दूसरों में वित्तीय प्रस्ताव हो) में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	राज्य	स्ट्रैच	एनएच नं.	न्यूनतम प्लॉट एरिया परिमाण
1	उत्तर प्रदेश	एनएच-44 (पुराना एनएच-3) पर बाईं तरफ राजस्थान बार्डर से एनएच एबी (दक्षिणी बाईपास)	एनएच-44 (पुराना एनएच-3)	प्लॉट एरिया 60 मीटर न्यूनतम अग्रभाग के साथ न्यूनतम 1.5 एकड़ होना चाहिए। तथापि उच्च आकार के प्लॉट को प्राथमिकता दी जाएगी।
2	उत्तर प्रदेश	आगरा बाईपास से राजस्थान बार्डर तक एनएच-21 (पुराना एनएच-11) पर दाईं तरफ	एनएच-21 (पुराना एनएच-11)	

उपरोक्त के संदर्भ में, कृपया निम्नलिखित को नोट करें:

- यह विज्ञापन भूमि की अधिप्राप्ति के लिए है और किसी डीलरशिप के लिए प्रस्ताव नहीं है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित भूमि टोल ब्रिज या एनएच-एसएच-एमडीआर क्रॉसिंग से 1 किमी. के दायरे में नहीं होनी चाहिए और राजमार्ग पर उसी तरफ नजदीकी वर्तमान रिटेल आउटलेट से न्यूनतम 1 किमी. दूर होनी चाहिए।
- प्रस्तावित भूखण्ड का अग्रभाग राजमार्ग/मुख्य सड़क से जुड़ा होना चाहिए और सड़क से भूखण्ड में जाने के लिए पहुंच सड़क होनी चाहिए।
- निविदादाता को सभी सांविधिक अदायगी जैसे शहरी भूमि सीमा, गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन, आयकर अदायगी, गैर-ऋणग्रस्त प्रमाणपत्र आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित भूखण्ड भारा.रा.प्र. की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- प्रस्तावित भूखण्ड प्रधानतः समतल होना चाहिए, यह सड़क के लेवल तक या आसपास हो एवं एक साथ सटी होनी चाहिए।
- प्रस्तावित भूखण्ड के ऊपर कोई उच्च वोल्टेज विद्युत लाईन, उत्पाद/पानी की लाइन/कैनाल/ड्रेनेज/नाला/सार्वजनिक सड़क/रेलवे लाइन आदि नहीं होने चाहिए।
- प्रस्तावित भूखण्ड सभी ऋणभार/अतिक्रमण/धार्मिक अवसंरचना आदि से मुक्त होना चाहिए। प्रस्ताव के साथ इस संबंध में नोटरी द्वारा विधिवत् सत्यापित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- यदि भूखंड का सम्पूर्ण भाग एक स्वामी का नहीं है तो सभी भूमि मालिक जिनके भूखण्ड एक साथ सटे हुए हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह एक पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। यद्यपि, इंडियन ऑयल केवल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से ही लेनदेन करेगा। प्रस्ताव के साथ प्रत्येक भूमि मालिक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति जमा करनी होगी।
- जिला प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी निकाय भी इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त पाये जाने पर सरकारी भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कृषि भूमि का प्रस्ताव देने वाले भूमि मालिकों को इसे अपने खर्च एवं लागत पर गैर-कृषि भूमि विशेषतः रिटेल आउटलेट/बुनियादी सुविधाओं और अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों में प्रयोग के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करना होगा।
- इंडियन ऑयल के अनुमान के अनुसार, वाणिज्यिक मूल्यांकन पर निम्नलिखित अतिरिक्त लागतों पर भी विचार किया जाएगा (i) चारदीवारी/ह्यूम पाइप आदि की लागत के साथ भूमि की भराई/समेकन/कटिंग के साथ-साथ प्रस्तावित भूमि को सड़क के स्तर तक लाने के लिए उतार-चढ़ाव का विकास (ii) अन्य भौतिक मापदंड जैसे टेलीफोन/बिजली के लाइनों को स्थानांतरित करना/बिछाने की लागत।
- दलाल/प्रोपर्टी डीलर आवेदन न करें।
- इंडियन ऑयल किसी भी तरह से देरी, डाक/फैक्स द्वारा भेजे गए दस्तावेज प्राप्त न होने, गुम होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्राप्त किए गए कोटेशन मात्र एक प्रस्ताव हैं जो इंडियन ऑयल को किसी भी तरह बाध्य नहीं करते हैं।
- इंडियन ऑयल बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

प्रस्ताव निम्नानुसार दो निविदा प्रणाली में जमा किए जाने चाहिए:

(क) तकनीकी निविदा

तकनीकी निविदा के अंतर्गत विधिवत् हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तावित भूखण्ड के विवरण जमा किए जाने चाहिए। तकनीकी निविदा में भूमि का किसी भी प्रकार का प्रस्तावित मूल्य/भूमि की लागत नहीं होनी चाहिए। निविदादाता को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:

- भूमि के स्वामी(यों) का नाम
- भूखण्ड की सम्पत्ति अवस्थिति को दर्शाते विवरणों के साथ मुख्य योजना
- भूखण्ड की नाप के साथ बिक्री/पट्टे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
- 7/12 उद्धरण या इसके समकक्ष विवरण जैसे खतोनी, जमाबंदी, खसरा, गिरदवारी आदि और टाइमल डीड जैसे बिक्री डीड आदि जिसमें सत्य प्रतिलिपि के रूप में विधिवत् संलग्न/प्रमाणित भूमि का स्वामित्व दर्शाया गया हो।
- पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति जमा करनी होगी।

उपरोक्त दर्शाए गए दस्तावेजों/विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: तकनीकी निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'तकनीकी निविदा' लिखा होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा:

वित्तीय निविदा के साथ निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

- यह प्रस्ताव बिक्री के लिए या पट्टे के लिए या बिक्री अथवा पट्टे दोनों के लिए है
- बिक्री की स्थिति में रूप में अनुमानित बिक्री राशि
- पट्टे के मामले में, रूप में अनुमानित पट्टा किराया प्रतिमाह और पट्टे की अवधि

टिप्पणी: वित्तीय निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'वित्तीय निविदा' लिखा होना चाहिए।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों लिफाफों को अलग-अलग मुहरबंद कर दोनों को एक तीसरे लिफाफे में रखें और उसे मुहरबंद करके उसके ऊपर ".....स्थान पर भूमि का प्रस्ताव" लिखें।

इच्छुक पार्टियों नीचे दर्शाई गई नियत तिथि एवं समय तक या उससे पूर्व नीचे दिए गए पते पर आवेदन कर सकते हैं:

स्थान सीरियल नंबर	बोली/आवेदन जमा करने का पता
1-2	डिविजनल रिटेल सेल्स हैड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आगरा डिविजनल कार्यालय, 65/2, सजय प्लेस, आगरा, उत्तर प्रदेश-282002

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 02.07.2022 को 1500 बजे तक है। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। जमा किए गए प्रस्ताव नियत तिथि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई तिथि से 150 दिनों की अवधि के लिए वैध होने चाहिए।